

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 5355/2022

पूनम भाटिया

—अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बम्बाला, सांगानेर, जयपुर।
4. विष्णु कुमार शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) स्थानान्तरणाधीन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, देहलावास, से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, झाली, चाकसू, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.10.2022

आदेश की दिनांक : 18.11.2022

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री गोविन्द शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :- मातादीन शर्मा, सदस्य  
एम.एस.काला, सदस्य

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार व्यक्त किया गया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बम्बाला, सांगानेर, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बम्बाला, सांगानेर, जयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गहलोता (दूदू), जयपुर दूरस्थ स्थान पर किया गया तथा अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या-4 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया। आलोच्य आदेश बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के ईर्ष्या एवं द्वेष की भावनावश निजी प्रत्यर्थी संख्या-4 को समंजित करने के आशय से जारी किया गया है, जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डॉ. अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में प्रतिपादित अवधारणा के विपरीत है। अपीलार्थी परित्यक्ता महिला है तथा आलोच्य आदेश के बिन्दु संख्या-4 में अंकित किया गया है कि परित्यक्ता कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। जो उक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी के आदेश को निरस्त किए जावे।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक-1) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बम्बाला, सांगानेर, जयपुर में कार्य करने दिया जावे तथा वेतन एवं समस्त पारिणामिक लाभ दिए जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी परित्यक्ता महिला है तथा आलोच्य आदेश के बिन्दु संख्या-4 में अंकित किया गया है कि परित्यक्ता को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। अतः उपर्युक्त मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी तीन सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक-1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम.एस.काला)  
सदस्य

(मातादीन शर्मा)  
सदस्य